हरिभूमि
रायपुर भूमि - Page 4
26 July 2025

पैदल चलने वालों के लिए बनाएं ऐसा फुटपाथ जिसमें दिव्यांग भी चल सकें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अमल शुरू

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के सभी नगर निगमों के आयुक्त, पालिकाओं और नगर पंचायतों के सीएमओ को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र की सड़कों पर फुटपाथ बनाएं। यह ऐसा हो कि उसमें दिव्यांग भी चल सकें। दरअसल फुटपाथ बनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा इस आवेदन के माध्यम से आवेदक ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। यह मुद्दा पैदल यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित है। आवेदक ने बताया है कि (1) नागरिकों के उपयोग के लिए उचित फुटपाथ या पैदल पथ होना आवश्यक है। फुटपाथ ऐसे होने चाहिए जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ और उपयोग योग्य हों और फुटपाथों पर अतिक्रमणकारियों का नवीनीकरण अनिवार्य है।

अलग खबर

फुटपाथ का उपयोग है संविधान का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के हवाले से कहा है कि इस न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है कि पैदल यात्रियों को फुटपाथ या पैदल पथ का उपयोग करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुनिश्चित है। अच्छी हालत में फुटपाथ या पैदल मार्ग रखने का अधिकार निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है।

फुटपाथ हो दिव्यांगों के अनुकूल

आदेश में कहा गया है कि मुख्य फुटपाथ बिना किसी रुकावट के उचित स्थिति में होने चाहिए और दिव्यांगजनों के अनुकूल होने चाहिए। हमारे अनुसार, पैदल यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी सार्वजनिक सड़कों के किनारे, दिव्यांगजनों के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल फुटपाथों या फुटपाथों की उचित सुविधा होनी चाहिए। आवेदक ने भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) द्वारा निर्धारित मानकों और अन्य दस्तावेजों का हवाला दिया है। हम राज्यों और राज्य परिवहन निगमों को आज से 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं।

छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ अमल

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद छत्तीसगढ़ में इस अमल शुरू कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकाय प्रमुखों को आदेश की प्रति के साथ इसके पालन के लिए कहा है। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने लोक निर्माण विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भी इस आदेश से अवगत कराते हुए कियान्वयन के लिए कहा है।